आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार
दैनिक भास्कर
कुल पृष्ठ 18 राजस्थान मूल्य ₹ 5.00
dainikbhaskar.com झुंझुनूं, शनिवार, 9 दिसंबर, 2023 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-12, 2080 12 राज्य | 61 संस्करण
शेखावाटी भास्कर
झुंझुनूं, शनिवार, 9 दिसंबर, 2023 झुंझुनूं · चिड़ावा · पिलानी सुदामौंड़जी · बुहाना · सूरजगढ़ dainikbhaskar.com

पिलानी. सीएसआईआर-सीरी पिलानी में हुई कार्यशाला में उपस्थित वैज्ञानिक व अन्य।

सीरी पिलानी में व्याख्यान का आयोजन हुआ

पिलानी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने व सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-सीरी में व्याख्यान का आयोजन किया गया। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों व अन्य सहकर्मियों के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक व शोधार्थी उपस्थित थे।

संस्थान के प्रशासन नियंत्रक जयशंकर शरण ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से \'महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH) 2013\' कहा जाता है। उन्होंने सभी सहकर्मियों को ''महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम से परिचित कराते हुए इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। शरण ने केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की। डॉ. पीसी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुरमेंद्र सिंह ने निदेशक महोदय व अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। मीडिया एंड जनसंपर्क अधिकारी रमेश बौरा ने बताया कि 4 से 9 दिसंबर 2023 की अवधि देश भर में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाई जा रही है।